



## भारतीय किसानों के उत्थान में चैधरी देवीलाल जी का योगदान

अनिल कुमार (शोधार्थी)

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर (रोहतक)

सार:-

महान किसान नेता चैधरी देवीलाल जी का जन्म 25 दिसंबर 1914 को चैटाला गांव में हुआ। किसान परिवार में पैदा होने और ग्रामीण पृष्ठभूमि में पलने बढ़ने से बचपन से ही उन्होंने किसानों के दयनीय जीवन को बड़े पास से देखा और उनके दुखों को दूर करने का संकल्प लिया। चैधरी देवी लाल जी ने स्वतंत्रता से पहले किसान मुजारों की बेदखली रुकवाने और उनके सामाजिक अधिकार दिलवाने के लिए जागीरदारों के खिलाफ संघर्ष किया। 23 दिसंबर 1978 को दिल्ली में एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने चैधरी देवीलाल जी को इस रैली में भाग न लेने के लिए कहा तो चैधरी साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'मैं पहले किसान हूं मुख्यमंत्री बाद में' इन शब्दों से स्पष्ट है कि चैधरी देवीलाल को कभी किसी भी सत्ता से प्रेम नहीं रहा और अगर लगाव रहा है तो किसान से, मजदूर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद चैधरी देवीलाल जी ने किसानों का माल माफ किया, किसानों के ट्रैक्टर पर टोकन टैक्स को माफ किया, किसानों को मिलने वाले ऋणों पर ब्याज की दर कम करवाई, काम के बदले अनाज योजना चलाई, मैचिंग ग्रांट योजना को लागू किया। चैधरी देवीलाल जी हमेशा कहते थे राज की असली हकदार जनता है क्योंकि जनता ही लोगों को चुनकर भेजती हैं। इसलिए उन्होंने जनता दरबार लगाएं और लोगों से सीधा संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं को जाना और उनको दूर करने का भरसक प्रयास किया। परंतु वे इस हरियाणा प्रदेश के अनभुव को पूरे देश में लागू करना चाहते थे और भारतवर्ष के किसानों मजदूरों की स्थिति को सुधारना चाहते थे।

2 दिसंबर 1989 से 31 जुलाई 1990 तक 4 नवंबर 1990 से 18 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री बनें तथा कृषि मंत्री भी रहे। इस थोड़े से समय में जो कार्य चैधरी देवीलाल ने भारतीय किसान और ग्रामीण हित के लिए किए वह अपने आप में एक मिसाल है। अपनी किसान हितैषी सोच को चैधरी देवीलाल जी ने कृषि नीति की घोषणा करके और और संकल्प पत्र द्वारा एक विस्तृत योजना तैयार करके देश के सामने प्रस्तुत किया।

चीन की राजधानी पिंगिंग में हुई एशिया प्रशांत क्षेत्र संबंधी विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन सम्मेलन को चैधरी देवीलाल जी ने कृषि मंत्री भारत सरकार के रूप में शिरकत की



और वहां अपने किसान हितों के मद्दों को विश्व पटल पर रखा। चैधरी देवी लाल जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन किसान मजदूर के लिए संघर्ष में लगा दिया उनके किए हुए कार्यों और संघर्ष के लिए भारत का किसान सदैव उनका ऋणी रहेगा।

### प्रस्तावना

महान किसान नेता चैधरी देवीलाल जी का जन्म 25 दिसंबर 1914 को चैटाला गांव में हुआ। किसान परिवार में पैदा होने और ग्रामीण पृष्ठभूमि में पलने बढ़ने से बचपन से ही उन्होंने किसानों की दयनीय जीवन को बड़े पास से देखा और उनके दुखों को दूर करने का संकल्प लिया। चैधरी देवी लाल जी ने स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद किसान हितों की लड़ाई को लड़ा और सदैव उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने स्वतंत्रता से पहले किसान मुजारां की बेदखली रुकवाने और उनके सामाजिक अधिकार दिलवाने के लिए जागीरदारों के खिलाफ संघर्ष किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अनेक किसान हित के कार्य किए।

6 एकड़ भूमि तक के मालिक छोटे किसानों का माल माफ किया। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अनदान से चैपाले बनवाई। बेरोजगारी को दूर करने के लिए ग्राम उद्योग योजना शुरू की। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अनुदान से चैपाले बनवाई। बेरोजगारी को दूर करने के लिए ग्राम उद्योग योजना शुरू की। प्रदेश के किसी भाग में ओलावृष्टि व खलिहान में आग लगने से किसान की फसल को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए सरकारी कोष से सहायता करने की नीति अपनाई जो भारत में पहली बार किया गया। गांव में बाढ़ के पानी से बचाने के लिए रिंग बांध बनाने की नीति अपनाई। ग्रामीण क्षेत्र में सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए काम के बदले अनाज योजना शुरू की, यह भारत में अपने प्रकार की पहली योजना थी। ट्रैक्टर, रेडा व बुग्गी पर लगा टोकन टैक्स माफ कर दिया। गांव में मSचिंग ग्रांट देने की प्रथा आरंभ की जिसमें गांव में जितनी धनराशि इकट्ठा करके मुख्यमंत्री या किसी ओर मंत्री को दी जाती थी, उसे दुगुनी करके गांव के विकास पर खर्च करने के लिए लौटा दी जाती थी और ग्रामीणों की कमेटी ही उसे खर्च करती। गरीब किसानों, दस्तकारों, दुकानदारों तथा कामगारों के 10000 तक के सहकारी कर्जा माफ कर दिए गए। हरियाणा कृषि कर्जा राहत अधिनियम 1989 लाया गया। इसमें हरियाणा सरकार ने कर्ज के भार से दबे किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलवाने के लिए हरियाणा के कर्जा राहत अधिनियम 1989 लागू करके क्रांतिकारी कदम उठाया। इस अधिनियम के अन्तर्गत खरीदारों को जो मूलधन की राशि से दुगुना या



उससे ज्यादा राशि वापस कर चुके हैं, शेष कर्जा माफ कर दिया गया। गन्ने के मूल्य में वृद्धि की गई। जिन किसानों की फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचा था, उन्हें मुआवजा दिया गया। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। चैधरी देवी लाल जी हमेशा कहते थे कि राज का असली हकदार जनता है क्योंकि जनता ही लोगों को चुनकर भेजती है। इसलिए उन्होंने जनता दरबार लगाएं और लोगों से सीधा सम्पर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं को जाना तथा उनको दूर करने का भरसक प्रयास किया।

चैधरी देवीलाल जी अपने इस हरियाणा प्रदेश के अनभुव को पूरे देश में लागू करना चाहते थे और पूरे भारतवर्ष के किसानों मजदूरों की स्थिति को सुधारना चाहते थे और उन्हें यह मौका मिला 2 दिसंबर 1989 से 31 जुलाई 1990 तक तथा 4 नवंबर 1990 से 18 जून 1991 तक, जब वे भारत के उप प्रधानमंत्रि बने तथा साथ में कृषि मंत्रि भी रहे। इस थोड़े से समय में जो कार्य चैधरी देवीलाल ने भारतीय किसानों और ग्रामीणों हित के लिए किये वे अपने आपमें एक मिसाल है। चैधरी देवी लाल जी कहते थे कि अगर केंद्र सरकार मेरे हिसाब से चले तो मैं केंद्रीय सरकार के खजाने का मुंह गांव की ओर खोल देता और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने किया भी ऐसा ही। उनके प्रयासों से केंद्रीय बजट में गांव के विकास पर खर्च होने वाली राशि 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गई इसके साथ ही कृषि उपज के भाव भी उत्पादन पर होने वाले खर्च के हिसाब से बढ़ाए गए जिसका विवरण इस प्रकार है:-

बढ़े हुए भाव का ब्यौरा:-

क्रम स	जिन्स का नाम	वर्ष 1989 में भाव	अप्रैल 1991 में भाव	अन्तर
1.	गेहूँ	रूपये प्रति कि.ग्रा.	रूपये प्रति कि.ग्रा.	रूपये प्रति कि.ग्रा.
2.	जौ	183	275 से 285	92 से 105
3.	चना	145	260 से 280	115 से 137
4.	सरसों	325	618 से 670	293 से 345
5.	कपास	460	1130	670
6	सुरजमुखी	600	1060	460



चैधरी देवीलाल जी जब भी राजसत्ता में आए तो उन्होंने राजसत्ता का उपयोग जनकल्याण के लिए ही किया और उन्होंने यह अपने जनकल्याणकारी कार्यों से सिद्धि भी किया है। 23 दिसंबर 1978 को दिल्ली में एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने चैधरी देवीलाल जी को इस रैली में भाग न लेने के लिए कहा तो चैधरी साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'मैं पहले किसान हूँ मुख्यमंत्री बाद में' इन शब्दों से स्पष्ट है कि चैधरी देवीलाल को कभी किसी भी सत्ता से प्रेम नहीं रहा और अगर लगाव रहा है तो किसान से मजदूर से। चैधरी देवीलाल जी ने अपनी नई कृषि नीति को मार्च 1991 में एक संकल्प पत्र के रूप में देश के सामने रखा:-

1. कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और नियोजित विकास के लिए सभी कार्य नीतियों के लिए कृषि विकास मुख्य है। बीते समय में कृषि प्रगति से देश की कृषि जिन्सों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होने से कुछ राहत मिली थी। लेकिन स्वाधीनता के बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि दर केवल 2.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की रही है। बढ़ती हुई आबादी तथा आय में वृद्धि के कारण आने वाले दशकों में कृषि विकास की दर 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष तक बढ़ाना आवश्यक है।

2. राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य किसानों को आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को बहाल करना होगा। आज भारतीय कृषि दौराहे पर खड़ी है और जन संसाधनों का कुशल प्रबन्ध स्थाई कृषि के लिए महत्वपूर्ण है तथा ग्रामीण शक्ति के प्रभावी उपयोग के साथ चहुंमुखी ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाना चाहिए।

3. कृषि के सामने बड़ी-बड़ी चुनौतियां हैं। भारतीय कृषि के सामने आ रही मुख्य चुनौतियां संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

उत्पादकता का न्यूनतम स्तर और उसके फलस्वरूप सिर्फ किसानों की आय का न्यूनतम स्तर, खासकर छोटे किसानों का और कृषि को विविध बनाने तथा संमेकित खेती के जरिए आए स्तरों में सुधार की आवश्यकता बढ़ी हुई आबादी और पशु संख्या के कारण भूमि पर बढ़ता हुआ जैविक दबाव तथा प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने की और भूमि को खराब होने से बचाने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बेरोजगारी और न्यून रोजगारी जल संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। समग्र कृषि पद्धतियों के संबंध में शुष्क, अर्धशुष्क और अधिक वर्षा वाले इलाकों के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक प्रयोग की आवश्यकता। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग सहित कृषि में ऊर्जा के उपयोग के व्यावहारिक विकल्प



विकसित करना। इन चुनौतियों का सामना नियोजन में किसानों, उनकी आय तथा कल्याण को मुख्य बनाकर ही किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर राष्ट्रीय नीतियों का कृषि नीति के साथ समन्वित भी करना होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू और व्यवस्थित सामाजिक-आर्थिक बदलाव आ सके।

4. स्थाई कृषि अर्थव्यवस्था और उसकी समृद्धि के लिए मोटे तौर पर दो पहलुओं से नीति को नई दिशा देनी होगी राज्य द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता दिए जाने, किसानों द्वारा पूंजी निवेश के लिए आर्थिक माहौल बनाने के लिए और कृषि उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य बेहतर विपणन तथा मूल उत्पादक के अंश में वृद्धि के लिए प्रसंस्करण के जरिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

5. बरानी और वर्षा सिंचित इलाकों समुद्र तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए समुचित प्रोद्योगिकी विकसित करनी होगी।

6. जोतों के औसत आकार में कमी होना एक गंभीर समस्या होगी। भू-जोतों की चकबंदी प्रभावशाली ढंग से की जाएगी। अपनाई गई परंपरागत पद्धतियों से छोटे और सीमांत किसान आय के न्यूनतम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते कृषि को अधिक मूल्य दिलाने वाले उद्यमों में परिवर्तित करने को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा।

7. कृषि संबंधित क्रिया-कलापों से छोटे किसानों को अधिक आय कमाने में सहायता देने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों में समेकित कृषि पद्धति लागू करने में पशुपालन संबंधी क्रियाकलाप मुख्य भूमिका निभाएंगे।

8. बागानी फसलें अर्थात् चाय, कॉफी, रबड़ तथा विभिन्न प्रकार के मसाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। ये फसलें निर्यात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं इसलिए इन फसलों की उत्पादकता में सुधार करना अति महत्वपूर्ण हो गया है।

9. सृजित की गई सिंचाई क्षमता के प्रभावी उपयोग को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पानी पंचायतों, जल सहकारी समितियों आदि जैसी संस्थाओं के जरिए लाभानुभोगी कृषकों द्वारा सिंचाई प्रणालियों के प्रबंध को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

10. भू-संरक्षक उपायों के द्वारा प्रयोजना के जलग्रहण क्षेत्रों के उपचार पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने से जलाशयों में गाद जमा होने की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। भविष्य की सभी परियोजनाएं जल ग्रहण और कमान क्षेत्रों के वैज्ञानिक उपचारों के साथ ही मंजूर की जाएगी और इनके कार्यान्वयन पर बारीकी से निगरानी रखी जाएगी।



11. संकर किस्म के बीजों के विकास उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संकर और अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों पर अधिक ध्यान देने के कारण देश की पौध सामग्री की अनुवांशिक विरासत पर बुरा असर न पड़े।
12. पोषकों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन युक्त, फास्फेट युक्त और अन्य उर्वरकों के उत्पादन में सतत नए निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी।
13. हालांकि कीटनाशक दवाओं का उपयोग अपेक्षाकृत कम है फिर भी गलत उपयोग के हानि कारक प्रभाव सामने आने शुरू हो चुके हैं। जैव नियंत्रण विधियों का प्रयोग करके समेकित कीट प्रबंध पद्धति को विस्तृत तौर पर बढ़ा दिया जाएगा। प्राकृतिक चक्रों का उपयोग करके कीट नियंत्रण पर अनुसंधान को तेज किया जाएगा।
14. किसानों को कृषि कार्य में अधिक सक्षम बनाने के लिए कृषि उपकरणों तथा औजारों विशेषतया बैलचलित उपकरणों में सुधार करने पर जोर दिया जाएगा।
15. फसल उत्पादन में वृद्धि करने तथा विविधता लाने के लिए किसानों को सिफारिश की गई प्रौद्योगिकी अपनाने में वित्तीय संस्थाओं को ऋण देने की प्रक्रिया को आसान और कारगर बनाकर और ऋण की मात्रा में वृद्धि करके सुविधा दी जाएगी।
16. कृषि उत्पादन की प्रभावी उपयोग, इसका मूल्य बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को सृजन करने और इस प्रकार ग्रामीण आय में वृद्धि करने के लिए देहाती इलाकों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों का विस्तार किया जाएगा।
17. भारत में कृषि जिस **dks** के निर्यात की बहुत संभावना है। कपास, पटसन गन्ना, फल, सब्जिया और फूलों जैसी जिस **dks** के उत्पादन को जिसके संबंध में देश प्रौद्योगिकी विकास की उपलब्धि के आधार पर अपेक्षाकृत लाभ की स्थिति में है, बढ़ावा दिया जाएगा।
18. भारत सरकार का विश्वास है कि कृषि नीति के इस वक्तव्य को सभी वर्गों के लोगों का समर्थन मिलेगा तथा इससे कृषि की पैदावार में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप, ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ेगी। इससे गांव के जीवन स्तर में सुधार होगा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता संबंधी मौजूदा अंतर समाप्त हो जाएगा तथा स्वपोषण के आधार पर लाभकारी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

चैधरी देवी लाल जी ने अपनी कृषि नीति की घोषणा के साथ ही पूरे देश के किसानों मजदूरों के लिए एक खाका तैयार कर दिया, जो कि आने वाले समय में भी किसानों की



दशा और दिशा को सुधारने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। अपने छोटे से कार्यकाल में ही उन्होंने देश के सामने एक ऐसा आदर्श रख दिया, जो कि उनकी किसान हितैषी दूरदर्शी सोच का परिणाम था। यही नहीं, चीन की राजधानी पिंगिंग में हुई एशिया प्रशांत क्षेत्र संबंधी विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन सम्मेलन को चैधरी देवीलाल जी ने कृषि संबंधी भारत सरकार के रूप में शिरकत की और वहां अपने किसान हितों के मद्दों को विश्व पटल पर रखा। उनके किए हुए कार्यों और संघर्ष के लिए भारत का किसान सदैव उनका ऋणी रहेगा।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि:-

1. तेजा सिंह, संघर्ष एवं जनकल्याण (रोहतक, प्रवीन पब्लिकेशन, 1992)
2. धूपसिंह, जननायक चै० देवीलाल का सफर संघर्ष का (दिल्ली, मनीषा प्रकाशन, 1987)
3. डॉ. राजा राम, चैटाला से चंडीगढ़ ( नई दिल्ली, लाइट एंड लाइफ पब्लिसर्स 1978)
4. रघुबीर सिंह रावल व सुमित्रा धनखड़, चै० देवीलाल - बहुअयामी व्यक्तित्व (जी०, लक्की पब्लिकेशन, 2001)
5. डॉ. दिलबाग सिंह बिसला, भारतीय ग्रामीण समस्याएँ एवं समाधान के परिपेक्ष्य में चै० देवीलाल की सोच (चंडीगढ़, सप्तऋषी पब्लिकेशन, 2016)
6. डॉ. राजपाल सिंह, चै० देवीलाल जीवन एवं दर्शन (नई दिल्ली, हरमन पब्लिशिंग हाउस, 2000)